न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी यज्ञ मित्र सिंहदेव, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 55/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

ए यु स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड। प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. राज कुमार देवन्दा पुत्र रामेश्वर लाल देवन्दा (ऋणी)
निवासी 82, ढ़ाणी झरी, भोपतपुर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर– 332404 राज.।

2. सुरेश कुमार देवन्दा पुत्र रामेश्वरलाल देवन्दा (सहऋणी)
निवासी 82, ढ़ाणी झरी, भोपतपुर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर– 332404 राज.।

3. गीता देवी पत्नी राज कुमार (सहऋणी एवं रहनकर्त्ता)
निवासी 82, ढ़ाणी झरी, भोपतपुर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर– 332404 राज.।

यहां भी
गीता देवी पत्नी राज कुमार
ग्राम पंचायत, जैतपुर (मालाकाली), तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राज.।

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

निर्णय

निर्णय दिनांकः 30 अक्टूबर, 2019

1.प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **अरविन्द थालौड़** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **राज कुमार देवन्दा, सुरेश कुमार देवन्दा, गीता देवी** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अचल सम्पति **ग्राम पंचायत जैतुसर (मालाकाली), तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राजस्थान में स्थित है, जिसकी नाप 360 वर्गगज है। मालिकाना हक गीता देवी का है एवं जिसकी चारों दिशाएं इस प्रकार से हैं –पूर्व में रोड़, पश्चिम में प्लॉट ऑफ घीसू, उत्तर में गर्वमेंट टैंकु, दक्षिण में प्लॉट ऑफ ब्रोदर** को बंधक रखकर **4,00,000/–**रूपये (अक्षरे रूपये **चार लाख**) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **19.04.2019** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **19.04.2019** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **राज कुमार देवन्दा, सुरेश कुमार देवन्दा, गीता देवी** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **ग्राम पंचायत जैतुसर (मालाकाली), तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राजस्थान में स्थित है, जिसकी नाप 360 वर्गगज है। मालिकाना हक गीता देवी का है एवं जिसकी चारों दिशाएं इस प्रकार से हैं– पूर्व में रोड़, पश्चिम में प्लॉट ऑफ घीसू, उत्तर में गर्वमेंट टैंकु, दक्षिण में प्लॉट ऑफ ब्रोदर,** का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद (जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर) प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान जो नियमों में देय है, सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.)

6. आदेश आज दिनांकः 30 **अक्टुबर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलेक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner